न्यायालय उपखण्डअधिकारी एवं उपखण्डमजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2023/180

मिसल नम्बर–10/2023

1.दिनेश मीणा आयु 30 वर्ष,
2.रविन्द्र मीणा आयु 28 वर्ष,
3.गजेन्द्र मीणा आयु 26 वर्ष, पिसरान स्व0 श्री सात्यप्रकाश,
4.श्रीमती शांति बाई आयु 52 वर्ष पत्नी स्व0 श्री सात्यप्रकाश,
जाति– मीना, निवासी– राजनगर, तहसील– लाडपूरा, कोटा राज० मो० 8580057924

प्रार्थीगण।

बनाम

1.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थी।

–ःनिर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक......8/X/24

उपस्थितिः–

1.श्री राजकुमार मीणा अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण के पिता व पति सत्यप्रकाश आत्मज मथुरालाल जी के कब्जे व खाते की आराजी कृषि भूमि वाके ग्राम राजनगर, पटवार हल्का नयानोहरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा के सम्वत 2073 – 2077 के खाता संख्या नया 70 पुराना 62 के खसरा संख्या 170 रकबा 0.5300 है., खसरा सख्या 171 रकबा 0.5900 है0, खसरा संख्या 172/533 रकबा 0.1700 हैं० कुल रकबा 1.2900 है० में हिस्सा 7/144, सम्वत 2073 – 2077 के खाता संख्या नया 12 पुराना 12 के खसरा सख्या 58 रकुबा 0.0600 हैं०. खसरा संख्या 59 रकबा 0.0400 है0, खसरा संख्या 60 रकबा 0.1300 है० कुल रकबा 0.2300 हैं० में हिस्सा 1/28 और सम्वत 2073 – 2077 के खाता संख्या नया 57 पुराना 52 के खसरा संख्या 354 रकबा 0.4500 है., खसरा संख्या 356 रकबा 0.4100 है0, खसरा संख्या 357 रकबा 0.3500 है, खसरा संख्या 358 रकबा 0.3400 है0, खसरा संख्या 360 रकबा 0.3100 है० कुल रकबा 1.8600 है० में हिस्सा 1/192 विस्थित हैं। वादीगण के पिता व पति श्री सत्यप्रकाश जी की मृत्यू दिनांक 31.12.2017 को हो गई हैं जिसमें वादी संख्या 3 ने अपना फोत इन्तकाल खोलने के लिए हल्का पटवारी से मिला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

खातो की नकल निकलवायी तो वादीगण को पता चला कि वादीगण के पिता व पति का नाम सत्यप्रकाश आत्मज मथुरालाल की जगह उनके पिता जी व पति का नाम सत्यनारायण दर्ज हो रहा हैं जो त्रुटि पूर्ण दर्ज कर दिया गया हैं, जबकि वादीगण के पिता व पति का असल नाम उनके तथा वादीगण के समस्त दस्तावेजों के रिकार्ड में सत्यप्रकाश ही अंकित हैं। यदि इस नाम का सही इन्द्राज नहीं किया तों वादीगण को कागजी, शारीरिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पडेगा जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती जिससे वादीगण के पिता व पति के नाम को सहीं करवाया जाना आवश्यक हो गया हैं जिससे यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश करना पड रहा हैं। वादीगण के पिता व पति स्व0 श्री सत्यप्रकाश जी के समस्त रिकार्ड व दस्तावेजों जैसे परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आई डी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र तथा ड्राइईविंग लाईसेन्स आदि में भी सत्यप्रकाश ही दर्ज हैं तथा इसी प्रकार वादीगण के भी समस्त दस्तावेजो आधारकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेजों, राशनकार्ड, वोटर का्ड आदि में भी सत्यप्रकाश ही अंकित है। जिससे भी उनके पिताजी का नाम सत्यनारायण की जगह सत्यप्रकाश दर्ज किया जाना उचित होगा। वादीगण के पिता व पति की अन्य कृषि भूमियों में भी उनका नाम सत्यप्रकाश ही अंकित हैं जिससे भी यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश कर रहा है। अतः श्रीमान से प्रार्थना हैं कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम राजनगर, पटवार हल्का नयानोहरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 70 पुराना 62 के खसरा संख्या 170 रकबा 0.5300 है., खसरा सख्या 171 रकबा 0.5900 है0, खसरा संख्या 172/533 रकबा 0.1700 हैं० कुल रकबा 1.2900 है० में हिस्सा 7/144, खाता संख्या नया 12 पुराना 12 के खसरा सख्या 58 रकुबा 0.0600 हैं०. खसरा संख्या 59 रकबा 0.0400 है0, खसरा संख्या 60 रकबा 0.1300 है० कुल रकबा 0.2300 हैं० में हिस्सा 1/28 और खाता संख्या नया 57 पुराना 52 के खसरा संख्या 354 रकबा 0.4500 है., खसरा संख्या 356 रकबा 0.4100 है0, खसरा संख्या 357 रकबा 0.3500 है, खसरा संख्या 358 रकबा 0.3400 है0, खसरा संख्या 360 रकबा 0.3100 है० कुल रकबा 1.8600 है० में हिस्सा 1/192 में वादीगण के पिता का नाम सत्यनारायण आत्मज मथुरालाल के स्थान पर सत्यप्रकाश आत्मज मथुरालाल किये जाने का आदेश फरमावें तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो उचित हो वादीगण को दिलावायी जावें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित किया कि मौके पर ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि सत्यनारायण पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी राजनगर का वास्तविक व सही नाम सत्यप्रकाश ही है। इनके समस्त दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आई.डी., जाति प्रमाण पत्र राशन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में नाम सत्यप्रकाश ही दर्ज है। परन्तु जमाबंदी में नाम सत्यनारायण दर्ज हो रहा है। परिवारजन से पूछताछ करने पर भी सत्यनारायण पुात्र मथुरालाल का नाम सत्यप्रकाश पुत्र मथुरालाल ही बताया गया। गांव में सत्यनारायण पुत्र मथुरालाल नाम का कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नही है। सत्यनारायण उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मथुरालाल एक ही व्यक्ति है।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस प्रार्थीपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र पत्र के कथनों को दोहराया। प्रार्थीगण की ओर से अपनी बहस के समर्थन में रामेश्वर मीणा पुत्र श्री रंगलाल मीणा, जमनाशंकर मीणा पुत्र श्री तेजराज मीणा, हरिओम मीणा पत्र श्री नन्द किशोर मीणा, राजेन्द्र मीणा पुत्र सत्यप्रकाश मीणा, दुर्गाशंकर मीणा पुत्र मथुरालाल मीणा, चन्द्रकान्ति बाई पत्नी तेजराज मीणा के शपथ पत्र पेश हुये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपरोक्तानुसार बाद अवलोकन तहसील रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। चूंकि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में कथन किया है कि मौके पर ग्रामवासियान द्वारा बताया गया कि सत्यनारायण पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी राजनगर का वास्तविक व सही नाम सत्यप्रकाश ही है। परिवारजन से पूछताछ करने पर भी सत्यनारायण पुत्र मथुरालाल का नाम सत्यप्रकाश पुत्र मथुरालाल ही बताया गया। गांव में सत्यनारायण पुत्र मथुरालाल नाम का कोई अन्य व्यक्ति मौजूद नही है। सत्यनारायण उर्फ सत्यप्रकाश पुत्र मथुरालाल एक ही व्यक्ति है। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों आधार कार्ड, वोटर आई.डी., जाति प्रमाण पत्र राशन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से भी इस बात की पुष्टि होती है कि सत्यनारायण एवं सत्यप्रकाश एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम राजनगर, पटवार हल्का नयानोहरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाता संख्या नया 70 पुराना 62 के खसरा संख्या 170 रकबा 0.5300 है., खसरा सख्या 171 रकबा 0.5900 है0, खसरा संख्या 172/533 रकबा 0.1700 हैं० कुल रकबा 1.2900 है० में हिस्सा 7/144, खाता संख्या नया 12 पुराना 12 के खसरा सख्या 58 रकुबा 0.0600 हैं०. खसरा संख्या 59 रकबा 0.0400 है0, खसरा संख्या 60 रकबा 0.1300 है० कुल रकबा 0.2300 हैं० में हिस्सा 1/28 और खाता संख्या नया 57 पुराना 52 के खसरा संख्या 354 रकबा 0.4500 है., खसरा संख्या 356 रकबा 0.4100 है0, खसरा संख्या 357 रकबा 0.3500 है, खसरा संख्या 358 रकबा 0.3400 है0, खसरा संख्या 360 रकबा 0.3100 है० कुल रकबा 1.8600 है० में हिस्सा 1/192 में प्रार्थीगण के पिता का नाम सत्यनारायण आत्मज मथुरालाल के स्थान पर सत्यनारायण उर्फ सत्यप्रकाश आत्मज मथुरालाल दर्ज किया जावे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः....8/x/21.......को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★